न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक : 17/2014

धन्नालाल पुत्र नन्दा उर्फ नन्द किशोर जाति नाई निवासी सनिजा बावडी हाल निवासी 13 ए, जवाहर नगर रतलाम (म0 प्र0)

...वादी

♠ बनाम ♠

1. रामकल्याण पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188 व 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री रामस्वरूप नागर
वकील प्रतिवादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांकः 14.02.2014 निर्णय दिनांक : 10.09.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम किशनपुरा की आराजी खाता संख्या नया 143 पुरानी 125 की खसरा नं0 229 रकबा 0.94 है0 नहरी प्रथम स्थित है। उक्त आराजी के पूर्व साबिक खसरा नं0 322 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा सेटलमेंट संम्वत 2038–57 से पूर्व थें। आराजी खसरा नं0 322 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा के सेटलमेंट विभाग द्वारा नये खसरा नं0 229 कायम करते वक्त रकबा 0.94 है0 दर्ज किया गया है जबकि 8 बीघा 8 बिस्वा का रकबा 1.35 है0 दर्ज होना चाहिए था। तथा वादी के पिता नन्दा उर्फ नन्दकिशोर पुत्र गणेश के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी के पिता के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 रामकल्याण पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बोरदा का नाम दर्ज कर दिया था। रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा का 1.35 है0 के स्थान पर 0.94 है0 दर्ज किया गया है जो 0.41 है0 कम दर्ज किया गया है। जिसकी वादी अपनी कमी बेशी रकबे की दुरूस्ती करवाकर अपने खातेदारी में दर्ज करवाने व प्रतिवादी क्रम 1 रामकल्याण पुत्र मथुरालाल के स्थान पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करवा पाने का अधिकारी है। वादी के पिता नन्द उर्फ नन्दकिशोर पुत्र गणेश जाति नाई अपने जीवनकाल तक उनके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम बोरदा पूर्व खसरा नं0 322 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा को मुनाफा काश्त पर काश्त व्यवस्था कराते रहे उनके देहान्त के बाद वादी काश्त करवाता आ रहा है कई बार वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त आराजी खसरा नं0 229 मुनाफा काश्त पर काश्त कराई है किन्तु इस वर्ष प्रतिवादी क्रम 1 ने मुनाफा काश्त राशि देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया तथा कहां कि जमीन मैंने मेरे नाम खाते में दर्ज करवा रखी है। अब किस बात का मुनाफा दूंगा। वादी द्वारा पुराना रेकार्ड निकलाने पर सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी के पिता नन्दा उर्फ नन्दकिशोर के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 का नाम दर्ज करना व रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा का रकबा 0.94 है0 दर्ज होना मालूम हुआ। अतः आराजी खसरा नं0 229 रकबा 0.94 है0 के स्थान पर 1.35 है0 वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावें। तथा प्रतिवादी क्रम 1 को उक्त आराजी से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जाकर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी

[illegible] ना स्वयं उत्पन्न करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। तथा प्रतिवादी कम 1 से [illegible] की राशि दिलवायी जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 14.02.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 रामकल्याण पुत्र मथुरालाल की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत कुमार जैन ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण कम 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र की मद संख्या 1 व 2 को आंशिक रूप से स्वीकार किया है एवं अपने जवाब में अंकन किया है कि नन्दा उर्फ नन्दकिशोर पुत्र गणेशराम ने आराजी खसरा नं0 229 रकबा 0.94 है0 जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 22.03.1974 को रामकल्याण पुत्र मथुरालाल जाति मीणा को बेचान कर दी है जिससे उक्त आराजी लगभग 42 वर्षो से प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी कम 1 ने अपने जवाब में आगे अंकन किया कि उक्त बेचान 42 वर्ष पूर्व समक्ष गवाहान गोपीचन्द व माधोलाल की उपस्थिमि में किया गया है। एवं उक्त बेचान से ही आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज हुई है। एवं विशेष निवेदन किया कि वादी के पिता द्वारा ग्राम किशनुपरा की आराजी खसरा नं0 322 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा का बेचान दिनांक 22.03.1974 को प्रतिवादी कम 1 को किये जाने से उक्त आराजी से वादी का किसी प्रकार का सरोकार नही है। एवं निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 10.09.2018 को वादीगण के अधिवक्ता व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रतिवादीगण के जवाब दावा को शामिल फायल किया गया। प्रतिवादी कम संख्या 2 सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल को कई मर्तबा आवाज देने पर भी अनुपस्थित होने से एक्सपार्टी की कार्यवाही अमल में लायी गयी। उभय पक्ष के वकीलो ने बहस की बहस में दोनो ने वाद पत्र एवं जवाब दावा में अंकित तथ्यो को ही दोहराया है। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत तथ्य एवं दस्तावेज औचित्यपूर्ण नही है। प्रतिवादी कम 1 रामकल्याण पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बोरदा द्वारा वादी के पिता से ग्राम किशनुपरा की आराजी खसरा नं0 322 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा को उचित मूल्य देकर जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 22.03.1974 को कय की है जो शामिल फायल है। अतः वाद पत्र, जवाब दावा एवं संलग्न दस्तावेजात, साक्ष्य, सबूतो एवं बहस फाईनल की रोशनी में वाद वादी सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन